सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ, 1947 (श०)

संख्या - 56 राँची, मंगलवार, 17 फ़रवरी, 2026 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

15 जनवरी, 2026

सं0सं0-3/पर्या0प्रदू0(विविध)-22/2007(छाया संचिका-बी0)- 100व0प0,--

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के द्वारा प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु किए गए प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धारा-4(1) के तहत झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का गठन किया गया है ।

माननीय NGT नई दिल्ली में दायर O.A.No-318/2013राजेन्द्र सिंह भण्डारी बनाम उतराखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक-24.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर Civil Appeal No-1359/2017में दिनांक-22.09.2017 को न्यायादेश पारित किया गया है एवं अध्यक्ष/सदस्य सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त मार्ग निर्देशिका संसूचित करने का निर्देश दिया गया है, जिसके अनुपालन में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या-2230 दिनांक-05.08.2021 द्वारा **"झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2021"**अधिसूचित है एवं अधिसूचना सं0-2231 दिनांक-05.08.2021 द्वारा **"झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2021"**अधिसूचित है।

पुनः वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना संख्या-1005 दिनांक-16.03.2024 द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2021 के कंडिका-8 एवं 9 (घ) एवं (च) में संशोधित कर **"झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2024"**अधिसूचित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में अध्यक्ष/सदस्य सचिव की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली में सन्निहित सेवा शर्तों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत संशोधित एवं दोनों नियमावली को compile किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

भारत का संविधान' के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम (1974 का 6वां) की धारा 64, उपधारा-2 खंड-"ई" में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2026 निम्नवत् बनायी जाती है:-

भाग-1

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-

(i) इन नियमों को **झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2026** कहा जायेगा।

(ii) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं:-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) (ख) "विभाग" से अभिप्रेत है वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड;

(ग) **"पर्षद"** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद;

(घ) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रत है झारखण्ड सरकार;

(ड़) **"अध्यक्ष"** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष;

(च) **"सदस्य सचिव"** से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव

3. पदों की संख्या-

(क) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद-01 (एक)।

(ख) सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद-01 (एक)।

4. नियुक्ति की विधि-प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर/सीधी नियुक्ति।

भाग-2

5. अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें-

i. **वेतनमान-**सप्तम वेतनमान के अनुरूप Level-15 in the pay matrix अन्य भत्ते (महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता) एवं वार्षिक वेतनवृद्धि भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुसरण में संदेय होगा। वेतन का निर्धारण राज्य सरकार के वित्त विभाग के एतदसंबंधी पत्र/परिपत्र आदि से आच्छादित होगा।

ii. **आयु सीमा-** नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष होगी।

iii. **कार्यकाल-** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का पूर्ण कार्यकाल 3 वर्षों की एकल कार्यावधि का होगा, जिसका विस्तार नहीं किया जायेगा।

iv. **सेवाशर्त्त:-**

(क) पर्षद के अध्यक्ष के भत्ता, योगदान का समय, वेतन, भविष्य निधि/National Pension Scheme/Employee Provident Fund Organization,सेवानिवृति आयु, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सेवाशर्त्तें राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधीन समान वेतनमान का पद धारण करने वाले पदाधिकारी के संबंध में लागू नियम एवं आदेश द्वारा विनियमित होगी।

(ख) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार में सेवारत अभ्यर्थी/आवेदकों/पदाधिकारियों की अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में उनकी सेवा बाह्य सेवा कहलायगी तथा बाह्य सेवा के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के प्रावधान लागू होंगे।

v. **शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव-** केन्द्र सरकार/ राज्य सरकारों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों/ स्वायत्तया अर्द्ध सरकारी या वैधानिक या निजी संस्थानों के व्यक्ति/सेवानिवृत्त व्यक्ति, जो निम्न अहर्त्ता रखते हों:-

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण से संबंधित विज्ञान में स्नातकोत्तर या पर्यावरण से संबंधित प्रबंधन में इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री धारित करता हो। पर्यावरण संरक्षण का व्यावहारिक अनुभव एवं विशेष ज्ञान रखता है, जिसमें औद्योगिक प्रदूषण शमन, जल उपचार या वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण शामिल हैं।

(ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कम से कम 10 साल के व्यावहारिक अनुभव के साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त या अर्द्ध सरकारी या वैधानिक या निजी संस्थानों में प्रशासनिक या प्रबंधन के स्तर पर 10 साल का अनुभव एवं सप्तम वेतनमान के अनुरूप Level-13A in the pay matrixया षष्टम वेतनमान रू0-37400-67000, ग्रेड पे-8900 के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्षों की नियमित सेवा अथवा समकक्ष।

या,

अखिल भारतीय सेवायें के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी जो राज्य सरकार में 'कम से कम' सचिव या उनके समकक्ष पद धारक या पद धारित किये हो एवं समान कार्यक्षेत्रों में प्रशासनिक अनुभव रखते हों।

भाग-3

6. सदस्य सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें-

i. **वेतनमान-**सप्तम वेतनमान के अनुरूप Level-13A in the pay matrix.अन्य भत्ते (महँगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, यात्रा भत्ता) एवं वार्षिक वेतन वृद्धि भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रासंगिक नियमों के अनुसरण में संदेय होगा। वेतन का निर्धारण राज्य सरकार के वित्त विभाग के एतद् संबंधी पत्र/परिपत्र आदि से आच्छादित होगा।

ii. **आयु सीमा-** नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी।

iii. **कार्यकाल-**सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का पूर्ण कार्यकाल 3 वर्षों की एकल कार्यावधि का होगा, जिसका विस्तार नहीं किया जायेगा।

iv. **सेवाशर्त्त:-**

(क) पर्षद के सदस्य सचिव के भत्ता, योगदान का समय, वेतन, भविष्य निधि/National Pension Scheme/Employee Provident Fund Organization, उपदान, सेवानिवृति आयु, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सेवाशर्त्तं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधीन समान वेतनमान का पद धारण करने वाले पदाधिकारी के संबंध में लागू नियम एवं आदेश द्वारा विनियमित होगी।

(ख) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार में सेवारत अभ्यर्थी/आवेदकों/पदाधिकारियों की सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पद पर नियुक्ति होने की स्थिति में उनकी सेवा बाह्य सेवा कहलायगी तथा बाह्य सेवा के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के प्रावधान लागू होंगे।

v. शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव- केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/ सार्वजनिक उपक्रमों/ विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों/स्वायत्तया अर्द्ध सरकारी या वैधानिक या निजी संस्थानों के व्यक्ति, जो निम्न अहर्त्ता रखते हों:-

(i) पर्यावरण से संबंधित विषय पर अभियंत्रण/प्रौद्योगिकी में स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान में स्नातकोत्तर। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन के क्षेत्र में सक्षम, योग्य, वांछनीय ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव।

(ii) पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कम से कम 10 साल के व्यावहारिक अनुभव के साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/स्वायत्त या अर्द्ध सरकारी या वैधानिक या निजी संस्थानों में प्रशासनिक या प्रबंधन का अनुभव एवं सप्तम वेतनमान के अनुरूप Level-12 in the Pay Matrix या षष्टम वेतनमान रू0 15,600-39,100 ग्रेड पे-7600 के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्षों की नियमित सेवा अथवा समकक्ष।

या,

अखिल भारतीय सेवायें के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी जो राज्य सरकार में विशेष सचिव या उनके समकक्ष पद धारक या पद धारित किये हो एवं केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/लोक उपक्रमों के संस्थानों या विभागों में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन का ज्ञान एवं अनुभव।

भाग-4

7. नियुक्ति की प्रक्रिया-

(क) झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के अध्यक्ष/सदस्य सचिव की नियुक्ति Search-cum-Selection Committee की अनुशंसाओं के आधार पर की जायेगी जिसकी संरचना निम्नवत् होगी-

i.	मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची।	-	अध्यक्ष
ii.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची ।	-	सदस्य
iii.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।	-	सदस्य
iv.	सरकार द्वारा नामित सेवानिवृत प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से अन्यून स्तर के पदाधिकारी।	-	सदस्य

(ख) रिक्ति के विरूद्ध Search-cum-Selection Committeeसदस्य सचिव/अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया तीन माह के भीतर पूर्ण करेगी।

(ग) प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती के मामले में विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनों की जाँच Search-cum-Selection Committee द्वारा की जाएगी एवं रिक्त पदो के लिए नामों के पैनल की अनुशंसा करेगी। राज्य सरकार चयन समिति के अनुशंसित पैनल से अध्यक्ष/सदस्य सचिव की नियुक्ति करेगी।

(घ) किसी व्यक्ति को अध्यक्ष/सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त करने की अनुशंसा करने से पूर्व,Search-cum-Selection Committee आश्वस्त हो लेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा आर्थिक या अन्य हित न हो, जो अध्यक्ष/सदस्य सचिव के रूप में अपने कर्त्तव्यों को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर प्रभावित कर सकता है। (अभ्यर्थी की स्व-घोषणा)

(ड़) चयन समिति द्वारा की गई नामों की अनुशंसा में से अध्यक्ष/सदस्य सचिव के पद पर नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात् की जायेगी।

(च) अध्यक्ष पूर्णकालिक (Full-time) या अंशकालिक (Part-time) दोनों में से कोई भी हो सकता है, जैसा कि राज्य सरकार उपयुक्त समझे। सदस्य सचिव पूर्णकालिक होंगे।

(छ) अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्य सचिव के मामले में, विभाग योग्य अभ्यर्थी का नाम माननीय मुख्यमंत्री को प्रस्तावित कर सकता है, जो नियमित पूर्णकालिक अध्यक्ष/सदस्य सचिव की नियुक्ति होने तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्य सचिव नामित करेंगे।

8. पदमुक्त किया जानाः- जल (प्रदूषण, निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-5 की उपधारा-(3) के तहत अध्यक्ष/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को कार्यकाल पूरा होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा दो महीने का नोटिस देते हुए हटाया जा सकेगा।

9. **अन्यान्यः-** अध्यक्ष/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सम्पति विवरणी तथा वार्षिक गोपनीय चारित्री प्रतिवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष/सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के Performance & Evaluation के लिए संरचना निम्नवत् है:-

क्र0सं0	**Performance & Evaluation के लिए संरचना**	**अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद**	**सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद**
क)	प्रतिवेदक पदाधिकारी	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड।	अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
ख)	समीक्षी पदाधिकारी	प्रभारी मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड
ग)	स्वीकरण पदाधिकारी	मुख्यमंत्री, झारखण्ड	प्रभारी मंत्री, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड

10. यदि किसी कारणवश स्थायी पद के विरूद्ध नियमित नियुक्ति नहीं हो पाती है या पद रिक्त हो जाती है, वैसी स्थिति में अंतरिम व्यवस्था के तहत उक्त पदों के लिए अर्हत्ता रखने वाले अखिल भारतीय सेवायें के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा के पदाधिकारी को सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार) द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा।

11. **शिथिल करने की शक्तिः-** जहाँ राज्य सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

12. राज्य सरकार आवश्यकतानुसार नियमावली में संशोधन कर सकेगी तथा नियमावली को लागू करने में उत्पन्न किसी भी कठिनाई को राजकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशन के द्वारा दूर कर सकेगी।

13. विभागीय अधिसूचना-2230 दिनांक-05.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद अध्यक्ष नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2021, अधिसूचना संख्या-1005 दिनांक-16.03.2024 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त (संशोधन) नियमावली, 2024 एवं विभागीय अधिसूचना सं0-2231 दिनांक-05.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद सदस्य सचिव नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2021 को निरस्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0),
सचिव

Forest, Environment and Climate Change Department

NOTIFICATION
15th January, 2026

File No-3/Env.Poll.(Misc.)-22/2007 (Shadow File-B)-100 VaPa, --The Jharkhand State Pollution Control Board has been constituted under Section 4 (1) to implement the provisions made for the prevention and control of pollution under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974.

Whereas an order has been passed by the Hon'ble Supreme Court, New Delhi on 22.09.2017 in Civil Appeal No.-1359/2017 against the order passed on 24.08.2016 by Hon'ble NGT, New Delhi in the matter of O.A. No.- 318/2013 Rajendra Singh Bhandari Versus State of Uttarakhand and ors. and directed to notify the appropriate guidelines for the appointment to the post of Chairman. In compliance of the said order, Jharkhand State Pollution Control Board Chairman Appointment and Service Rules, 2021 was notified, vide Notification No.-2230 dated-05.08.2021 and Jharkhand State Pollution Control Board Member Secretary Appointment and Service Rules, 2021 was notified, vide Notification No.-2231 dated-05.08.2021

In compliance to the order of the Hon'ble Supreme Court, New Delhi, the terms of service contained in both notifications seem to be necessary to be revised and compiled in one single notification after due consideration in the present context.

Whereas in exercise of the powers conferred by the proviso to Article-309 of the Constitution of India and under the provisions contained in Section 64, Sub-Section-2 Clause - "e" of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act (6th of 1974), the appointment of the Chairman and Member Secretary of the Jharkhand State Pollution Control Board and Service Rules, 2026 is constituted by the State Government: -

PART-I

1. Short Name and Commencement: -

(i) These rules will be called **Jharkhand State Pollution Control Board Chairman and Member Secretary Appointment and Service Rules, 2026**.

(ii) These notifications will come into effect from the date of issue.

2. Definitions :-

In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Act"** means the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);

(b) **"Department"** means the Department of Forest, Environment and Climate Change. Jharkhand;

(c) **" Board"** means the Jharkhand State Pollution Control Board;

(d) **"Appointing Authority"** means the Government of Jharkhand;

(e) **"Chairman"** means the Chairman of Jharkhand State Pollution Control Board;

(f) **"Member Secretary"** means the Member Secretary of Jharkhand State Pollution Control Board;

3. Number of posts –

(a) Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board-01 (one)

(b) Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board-01 (one)

4. Method of appointment - Deputation/on contract/direct recruitment.

PART-II

5. **Terms and Conditions for the post of Chairman**-

i. **Pay Scale-** According to the Seventh Pay Commission Pay Scale Level-15 in the pay matrix. Other allowances (dearness allowance, medical allowance, travel allowance) and annual increment will be payable in accordance with relevant rules of Government of India / State Government. The determination of salary will be covered by the related letter / circular etc. of the Finance Department of the State Government.

ii. **Age Limit-** Maximum age limit will be 62 years on the last date of receipt of application.

iii. **Tenure -** The full term of the Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board will be a single term of 3 years, which will not be extended.

iv. **Service rule**: -

(A) Allowance of the Chairman of the Board, time of joining, salary, provident fund/ National Pension Scheme/Employee Provident Fund, gratuity, retirement age, medical facility and other services shall be regulated with the applicable rules and orders as holding the post of equal pay scale of the officer of State Government/ Central Government.

(B) In case of those candidates currently working in State Government / Central Government, on appointment to the post of Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board, the service will be called Foreign Services and the provisions of State Government / Central Government for Foreign Service will be applicable.

v. **Educational qualification and experience**- Persons from Central Government/State Governments/Public Sector Undertakings/Universities/Recognized Research Institutes /Autonomous or Semi-Governmental or Statutory or Private Institutions or Retired person having qualification mentioned below can apply.

(i) Bachelor's Degree in Engineering/Technology discipline relating to Environment or Master's Degree in Science preferably relating to Environment from a recognized University or Institute. Having special knowledge and practical experience relating to the environmental protection, including industrial pollution mitigation, water treatment or air pollution control devices.

(ii) **A minimum of 10 years of practical experience in the field of environmental protection and pollution control, along with 10 years of administrative or managerial experience in the Central Government/ State Government/ Public Sector Undertakings/ Universities/ recognized research institutions/ autonomous, semi-government,**

statutory or private institutions.Additionally, at least five years of regular service in a post corresponding to Level-13 of the Seventh Pay Commission or in a post with the pay scale of ₹37,400–67,000 with Grade Pay ₹8,900 under the Sixth Pay Commission, or an equivalent position.

Or

Officers of the All India Services belonging to the Indian Administrative Service (IAS) or the Indian Forest Service (IFS), who are holding or have held the post of Secretary or an equivalent position in the State Government, and possess administrative experience in similar areas.

PART-III

6. Terms and Conditions for the post of Member Secretary-

i. **Pay Scale-**According to the Seventh Pay Commission Pay Scale Level-13A in the pay matrix. Other allowances (dearness allowance, medical allowance, travel allowance) and annual increment will be payable in accordance with relevant rules of Government of India/State Government.The determination of salary will be covered by the related letter/circular etc. of the Finance Department of the State Government.

ii. **Age Limit-** Maximum age limit will be 60 years on the last date of receipt of application.

iii. **Tenure-** The full term of the Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board will be a single term of 3 years, which will be not extended.

iv. **Service Rule: -**

(A) Allowance of the Member Secretary of the Board, time of joining, salary, provident fund/ National Pension Scheme/Employee Provident Fund, gratuity, retirement age, medical facility and other services shall be regulated with the applicable rules and ordersas the holding the post of equal pay scale of the officer of State Government/ Central Government.

(B) In case of those candidates currently working in State Government / Central Government, on appointment to the post of Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, the service will be called External Services and the provisions of State Government / Central Government for external service will be applicable.

v. **Educational qualification and experience-** Persons from Central Government/State Governments/Public Sector Undertakings/Universities/Recognized Research Institutes/Autonomous or Semi-Governmental or Statutory or Private Institutions having the qualification mentioned below can apply.

(i) Bachelor’s Degree in Engineering/Technology discipline relating to Environment or Master’s Degree in Science preferably relating to Environment from a recognized University or Institute.Competent, qualified, desirable knowledge in the field of environmental protection and pollution control management and having practical experience.

(ii) A minimum of 10 years of practical experience in the field of environmental protection and pollution control, along with administrative or managerial experience in the Central Government/ State Government/ Public Sector Undertakings/ Universities/ recognized research institutions/ autonomous, semi-government, statutory or private institutions.

In addition, at least five years of regular service in a post corresponding to Level-12 of the Seventh Pay Commission or in a post with the pay scale of ₹15,600–39,100 with Grade Pay ₹7,600 under the Sixth Pay Commission, or an equivalent position.

Or

Officers of the All India Services belonging to the Indian Administrative Service (IAS) or the Indian Forest Service (IFS), who are holding or have held the post of Special Secretary or an equivalent position in the State Government, and possesses knowledge and experience in environmental protection and pollution control management in the institutions or Departments of the Central Government/ State Government/ Public Sector Undertakings.

PART IV

7. **Appointment Process: -**

(A) The appointment of the Chairman/Member Secretary of the Jharkhand State Pollution Control Board shall be made by the appointing authority on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee, the composition of which shall be as follows-

i	Chief Secretary, Government of Jharkhand	-	Chairman
ii	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Department of Forest, Environment and Climate Change, Government of Jharkhand	-	Member
iii	Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand	-	Member
iv	State Government nominated retired PCCF or an officer not below the rank of APCCF, Jharkhand, Ranchi	-	Member

(B) The Search-cum-selection committee will complete the process of selection of the Chairman/Member Secretary within three months against the vacancy.

(C) In case of deputation/on contract/direct recruitment, on the basis of advertisement, received applications will be scrutinized by the Search-cum-selection committee and the State Government will appoint the Chairman/Member Secretary from the recommended panel of the Selection Committee.

(D) Before recommending a person to be appointed as the Chairman/Member Secretary the Selection Committee shall be assured that such person does not have any economic or other interest which may be prejudicially influenced by his duties as Chairman/Member Secretary (self-declaration of the candidate)

(E) The appointment of the Chairman/Member Secretary from the names recommended by the Selection Committee will be done after the approval of the Appointing Authority.

(F) The Chairman may be either full-time or part-time as the State Government may think fit. The Member Secretary will be full-time.

(G) In case of part time Chairman/Member Secretary, the Department may suggest eligible candidate to the Hon'ble Chief Minister who shall nominate the part–time Chairman/Member Secretary till the regular appointment of full-time Chairman/Member Secretary is completed for a maximum period of one year.

8. **Removal**: - The Chairman/Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board can be removed after giving two months notice by the State Government before the completion of the term under the provision of Sub-Section 3 of Section 5 of the Water (Prevention and Control of Pollution,) Act 1974.

9. **Other**: - Submission of Property Return and Annual Confidential Report is necessary for the Chairman/Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board.

For Performance and Evaluation of Chairman/Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board, composition of member is as such: -

Sl. No.	**Composition for Performance and Evaluation**	**Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board**	**Member Secretary, Jharkhand State Pollution Control Board**
A)	Reporting Officer	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary	Chairman, Jharkhand State Pollution Control Board
B)	Reviewing Officer	Minister In-charge, Dept. of Forest, Environment & Climate	Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, Dept. of Forest, Environment & Climate Change, Jharkhand.
C)	Accepting Officer	Chief Minister, Jharkhand	Minister In-charge, Dept. of Forest, Environment & Climate Change, Jharkhand

10. If, for any reason, regular appointment against a permanent post cannot be made or the post falls vacant then in such a situation, under an interim arrangement, Officers of the All India Services belonging to the Indian Administrative Service (IAS) or the Indian Forest Service (IFS)possessing the required eligibility for the said posts may be authorized by the competent authority (the State Government).

11. **Power to relax** – Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. The State Government shall be able to amend the recruitment rule as per necessity and in case of any difficulty arising in the implementation of the rules.

13. Jharkhand State Pollution Control Board Chairman Appointment and Service Rules, 2021 vide Notification No.-2230 dated-05.08.2021 and Jharkhand State Pollution Control Board Chairman Appointment and Service Rules(Amendment), 2024 vide Notification No.-1005 dated-16.03.2024 and Jharkhand State Pollution Control Board Member Secretary Appointment and Service Rules, 2021 was notified, vide Notification No.-2231 dated-05.08.2021 is abrogated.

By order of the Governor of Jharkhand,

(Aboobacker Siddique P.),
Secretary

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 56 - 50